अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 438/X–4–15/1(240)/2015 दिनॉक 01 जुलाई, 2015 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त परियोजना–जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत् जैंती–पीपली मोटर रोड से सिल्टा चापड़ मोटर मार्ग (लम्बाई 10.250 कि0मी0) के निर्माण हेतु 4.7862 हैक्टेयर वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के क्रम में चाही गई शर्तों/प्रतिबन्धों की बिन्दुवार सूचना/अनुपालन आख्या।

शर्त संख्या–1. मोटर मार्ग हेतु कुल 4.7862 हैक्टेयर प्रस्तावित वन भूमि के एवज में 9.5724 हैक्टेयर, राजस्व ग्राम सिल्टा चापड़ की सिविल भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु आवश्यक/वॉछित धनराशि रुपया 13,68,853.00 (रुपया तेरह लाख अड़सठ हजार आठ सौ तिरेपन) मात्र की धनराशि उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण देहरादून द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गई है। **(संलग्नक–01)**

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित राजस्व ग्राम सिल्टा चापड़ की सिविल भूमि, जिसके कुल क्षेत्रफल के मध्ये 9.5724 हैक्टेयर भूमि को जिलाधिकारी अल्मोड़ा ने अपने आदेश संख्या 1125/ग्यारह–18/2015–16, दिनॉक 19 नबम्बर, 2015 द्वारा वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में हस्तान्तरित एवं नामान्तरित कर दी गई है। **(संलग्नक–2)** तत्क्रम में खसरा–खतौनी में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित 9.5724 हैक्टेयर सिविल भूमि वन विभाग के नाम अमल दरामद कर दी गई है। खतौनी तथा सजरा सीट की छाया प्रति संलग्न की जा रही है। **(संलग्नक क्रमशः 03 एवं 04)** सम्बन्धित सिविल भूमि को वन विभाग द्वारा स्वामित्व में लिए जाने तथा इसे भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत् छः माह के अन्दर संरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया जायेगा से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–05)**

शर्त संख्या–2. प्रस्तावित मोटर मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु आवश्यक/निर्धारित धनराशि रुपया 13,67,400.00 (रुपया तेरह लाख सड़सठ हजार चार सौ) मात्र उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण देहरादून द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गई है। **(संलग्नक–01)**

शर्त संख्या–3. माननीय उच्चतम् न्यायालय के रिट पिटीसन (सिविल) 202/1995 दिनॉक 05/02/2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान् मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि रुपया 31,44,533.00 (रुपया इकतीस लाख चौंवालीस हजार पॉच सौ तैंतीस) मात्र, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण देहरादून द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गई है। **(संलग्नक–01)**

शर्त संख्या–4. सक्षम स्तर से यदि शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई दर से अतिरिक्त धनराशि जमा कर दी जायेगी। इस क्रम में बचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न किया जा रहा है। **(संलग्नक–06)**

शर्त संख्या–5. मोटर मार्ग हेतु प्रस्तावित भूमि प्रत्यावर्तन की विधिवत् स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान् बाजार दर से जो भी मूल्य (प्रीमियर) निर्धारित किया जायेगा उसे प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा स–समय जमा कर दिया जायेगा। इस क्रम में बचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न किया जा रहा है। **(संलग्नक–07)**

शर्त संख्या–6. निम्न शर्त संख्या–6 में समस्त निधियों की धनराशि जमा किये जाने का विस्तृत विवरण अंकित किया जा रहा है।

शर्त संख्या–7. उपरोक्त मदों की कुल रुपया 58,80,786.00 (रुपया अठावन लाख अस्सी हजार सात सौ छियासी) मात्र, देय धनराशि को RTGS के माध्यम से Compensatory Afforestation Fund, (CAF) Uttaranchal SB A/C No. 037100101025229 कारपोरेशन बैंक, लोधी शाखा, नई दिल्ली के IFSC Code- CORP0000371, MICR Code-110017007 एवं Branch Code-000371 में शाखा प्रबन्धक, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, रेसकार्स देहरादून के माध्यम से उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण देहरादून द्वारा अपने पत्रॉक 1272/आई–3–20/यू0आर0आर0डी0ए0/12 दिनॉक 06 अगस्त, 2015 द्वारा जमा कर दिया गया है। **(संलग्नक–01)**

समस्त निधियों की कुल रुपया 58,80,786.00 (रुपया अठावन लाख अस्सी हजार सात सौ छियासी) मात्र की धनराशि, चैक संख्या 058250 Dt. 06/08/2015 तथा UTR No. ORBCH 15219081621 Date 07/008/2015 द्वारा जमा कर दी गई है। **(संलग्नक–08)**

<u>शर्त संख्या–8.</u> जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से पालन किया जायेगा। सम्बन्धित प्रमाण–पत्र की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–09)**
<u>शर्त संख्या–9.</u> वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत् आवश्यक अभिलेखों/निर्धारित प्रमाण–पत्र जो कि इस मोटर मार्ग के सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में मूल रूप में संलग्न किये गये थे, प्रमाण पत्रों की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक 10 से 16 तक)**
<u>शर्त संख्या–10.</u> जैंती–पीपली मोटर रोड से सिल्टा चापड़ मोटर मार्ग के सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र संख्या 438/X–4–15/1(240)/2015 दिनॉक 01 जुलाई, 2015 में निहित उक्त सम्बन्धित समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों का अक्षरक्षः पालन किया गया है।
<u>शर्त संख्या–11.</u> निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अनुपालन किये जाने के पश्चात् कृपया प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति निर्गत् करने की कृपा करेंगे।
संलग्नः– उपरोक्तानुसार

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0
अल्मोड़ा

संलग्नक-02 2012
फाईल सं० ......उमी (वनभूमि)
दिनांक 20-11-15

आदेश

जनपद अल्मोड़ा मे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जैती–पीपली मोटरमार्ग से सिल्टा–चापड़ तक प्रस्तावित मोटरमार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली कुल–4.7862 हैक्टयर वन भूमि के सापेक्ष दुगुने क्षेत्रफल अर्थात–9.5724 हैक्टयर सिविल भूमि को नियमानुसार क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष मे हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने के सबंध मे अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, (पी.एम.जी.एस.वाई.) अल्मोड़ा के पत्रांक–1327/3–सी. (वनभूमि) दिनांकः 06–11–2015 के द्वारा प्रेषित एवं तहसीलदार, जैती के द्वारा उक्त प्रयोजन हेतु उपलब्ध करायी गयी आख्या सहित क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गई भूमि के अभिलेखों :–परियोजना का नाम संयुक्त निरीक्षण रिर्पोट, प्रस्तावित ग्राम की खतौनी मे नकल, प्रारूप–2, एवं प्रस्तावित की गई भूमि का मौका नक्शा के आधार पर ग्राम ग्राम–सिल्टाचापड़, पटवारी क्षेत्र–बकस्वाड़ तहसील–जैती के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या–52 की श्रैणी–09 (3)ड़ " बंजर काबिल आबाद " के पैमायसी खेत न0 3485 रक्वा–1.291 है0, तथा खेत नम्बर–3503 का रक्वा–1.083 है0, खेत नम्बर–3545 रक्वा–0.515 है0, पैमायसी खेत न0 3547 रक्वा–0.391 है0, पैमायसी खेत न0 3549 रक्वा–0.498 है0, पैमायसी खेत न0 3713 रक्वा–0.940 है0, पैमायसी खेत न0 3800 रक्वा–0.526 है0, पैमायसी खेत न0 4754 रक्वा–1.400 है0, पैमायसी खेत न0 5056 रक्वा–1.023 है0, पैमायसी खेत न0 5759 रक्वा–1.415 है0 एवं पैमायसी खेत न0 5800 मध्ये–0.4904 है0, इस प्रकार कुल–9.5724 हैक्टयर सिविल भूमि को क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित की गई भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण मे हस्तान्तरित/नामान्तरित की जाती है। तहसीलदार, जैती कृ0 तद्नुसार ही राजस्व अभिलेखों मे अमलदरामद करने उपरान्त खतौनी नकल की प्रति प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग अल्मोड़ा को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें ।

छाया प्रति प्रमाणित

अमीन
कृ0 अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करें।
20.11.15
E.E.

ह0/–
(सविन बंसल)
जिला अधिकारी, अल्मोड़ा

कार्यालय जिला अधिकारी, अल्मोड़ा
संख्या 1125/ग्यारह–10/2015–16 दिनांक 19 नवम्बर, 2015

प्रतिलिपि–निम्नांकितो को सूचनार्थ प्रेषित :–

1– प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, अल्मोड़ा ।
2– अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, (पी.एम.जी.एस.वाई.) अल्मोड़ा ।
3– उप जिलाधिकारी, जैती, जनपद–अल्मोड़ा ।
4– तहसीलदार, जैती को उपरोक्तानुसार अनुपालन किये जाने हेतु ।

प्रभारी अधिकारी,
कृते जिला अधिकारी, अल्मोड़ा

उद्धरण खतौनी

सॅलग्नक - 03

ग्राम - सेल्याचापड. रा० उ० नि० क्षेत्र - बकस्वाड . रा० नि० क्षेत्र - शहरफाटक . तह० - जैंती. जिला - अल्मोड़ा

श्रेणी 5(3)ड. बंजर काबिल आबाद

खाता सं.	खातेदार का नाम	खेत नंबर	रकबा	विवरण
12	बंजर का० आबाद	१	९ ।।।	श्रीमान जिला अधिकारी महोदय अल्मोड़ा के आदेश संख्या 1125/ग्यारह-18/2015-16 दिनांक 19 नवम्बर 2015 के आधार पर ग्राम- सेल्या चापड के गै० ज० वि० खतौनी खाता संख्या 52 के पैमायशी खेत नं० 3485 रकबा 1.291 हे०, खेत नंबर 3503 रकबा 1.083 हे०. खेत नंबर 3545 रकबा 0.515 हे०, खेत नंबर 3547 रकबा 0.391 हे०, खेत नंबर 3549 रकबा 0.498 हे० खेत नंबर 3713 रकबा 0.940 हे०, खेत नंबर 3860 रकबा 0.526 हे०, खेत नं० 4754 रकबा 1.400 हे०, खेत नंबर 5056 रकबा रकबा 1.023 हे०, खेत नंबर 5759 रकबा 1.415 हे०, खेत नंबर 5800 मध्ये 0.4904 हे० कुल 9.5724 हे० सिविल भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में नामांतरित की
		२	२२ =	
		४	४७ ।।-	
		३७	३ ।।।	
		३८	४ =	
		|	|	
		३४८५	६४ ।।-	
		|	|	
		३५०३	५४ =	
		↓		
		३५४५	२५ ।।।	
		३५४७	१८ ।।-	
		३५४९	२४ ।।। =	
		|	|	
		३७१३	४७	
		|	|	
		३८००	२६ ।-	
		|	|	
		४७५४	७०	
		|	|	
		५०५६	५१ =	
		|	|	
		५७५९	७० ।।।	
		|	|	
		५८००	६८ ।।=	
		|	|	
		६२७२	। =	
		[illegible]	।।।=	
			-	
		६२९८	२ । =	
	कुल योग	७२४	२९५५ ।।≡	

सत्य प्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता,
वि० ख०, लो० नि० वि०,
अल्मोड़ा

रा० उ० नि० बकस्वाड
19/12/2015

महोदय. खतौनी नकल तैयार की

बकस्वाड
जैंती जिला-अल्मोड़ा
दिनांक 19/12/2015

संलग्नक-06

परियोजना का नामः– जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत् जैंती–पीपली मोटर रो सिल्टा चापड़ मोटर मार्ग (लम्बाई 10.250 कि0मी0) का निर्माण।

बचनबद्धता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु सक्षम स्तर से यदि शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई दर से अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी ह जमा कर दी जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0
अल्मोड़ा

43	बराकूना से चलथी मोटर मार्ग	अल्मोड़ा	पत्रांक–193 / F.P./U.K/Road/11123/2014 दिनांक 13.07.2015	10,63,062.00	31,40,865.00	10,62,000.00	52,65,927.00	058247-06-08-15	- ORBCH 15219085077 date 07-08-15			
44	बांसपटानपुल से चौराभोलथी मोटर मार्ग	पिथौरागढ	पत्रांक–718 / F.P./U.K/Road/11436/2015 दिनांक 14.07.2015	5,01,930.00	12,26,745.00	3,90,000.00	21,18,675.00	058248-06-08-15	- ORBCH 15219086163 date 07-08-15			
45	रिक्षाना पुल तिपोला से खलना मोटर मार्ग	अल्मोड़ा	पत्रांक–239 / F.P./U.K/Road/11301/2015 दिनांक 16.07.2015	8,79,450.00	20,20,275.00	6,83,000.00	35,82,725.00	058249-06-08-15	- ORBCH 15219085760 date 07-08-15			
46	[illegible]–पिपली से सेल्टा चापड मोटर मार्ग	अल्मोड़ा	पत्रांक–184 / F.P./U.K/Road/9530/2015 दिनांक 13.07.2015	13,68,853.00	31,44,533.00	13,67,400.00	58,80,78[illegible]	058250-06-08-15	- ORBCH 15219081621 date 07-08-15			
47	मोरनौला–जैती मोटर मार्ग	अल्मोड़ा	पत्रांक–192 / F.P./U.K/Road/11865/2015 दिनांक 13.07.2015	11,45,144.00	33,83,380.00	11,44,000.00	56,72,524.00	058251-06-08-15	- ORBCH 15219082407 date 07-08-15			
48	चमोली से चौला मोटर मार्ग	चमोली	पत्रांक–172 / F.P./U.K/Road/10664/2015 दिनांक 10.07.2015	7,14,714.00	33,92,675.00	7,14,000.00	48,21,389.00	058254-13-08-15	- ORBCH 15229027078 date 17-08-15	Pokhari (Chamoli)		
49	पीपलकोटी–सल्ला–रैतोली मोटर मार्ग	चमोली	पत्रांक–171 / F.P./U.K/Road/12144/2015 दिनांक 10.07.2015	7,95,652.00	25,15,665.00	7,95,000.00	41,06,317.00	058255-13-08-15	- ORBCH 15229032633 date 17-08-2015			
50	दलबैण्ड से नैनी मोटर मार्ग	अल्मोड़ा	पत्रांक–191 / F.P./U.K/Road/8641/2014 दिनांक 13.07.2015	9,29,214.00	27,45,405.00	9,28,200.00	46,02,819.00	058256-13-08-15	- ORBCH 15229030120 date 17-08-15	Almora-I		
51	सिमड़ी–काण्डामल्ला मोटर मार्ग	पौडी	पत्रांक–266 / 1 जी–3547(पौडी) दिनांक 20.07.2015	3,08,880.00	9,12,600.00	-	12,21,480.00	058257-13-08-15	- ORBCH 15229043288 date 17-08-15	Baijro		
52	खेतीखान से तुमाविरौरा मोटर मार्ग	चम्पावत	पत्रांक–237 / F.P./U.K/Road/9524/2015 दिनांक 16.07.2015	9,06,334.00	20,82,033.00	6,77,000.00	36,65,367.00	058258-13-08-15	- ORBCH 15229042278 date 17-08-15	Lohaghat (Champawat)		

छाया-प्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता,
नि० ख०, लो० नि० वि०,
अल्मोड़ा

संलग्नक-10

L'6

(07)

Annexure-I

FORM-1

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector: Almora

No.......Memo.........

Dated......15/01/2015......

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF) Government of India's letter No:-11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MOEF.s letter dated 5th feb. 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 4.7862 **Hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of Rural Development Dept. Uttarakhand (Name of user agency) **for Construction of Jainti Pipli Motor Road to Siltachapar Motor Road (Length 10.250 Km.) Irrigation Division (PMGSY) P.W.D. (purpose for diversion of forest land) in Almora district falls within jurisdiction of Siltachapar and Syura Village (s) in Jainti tehsils.**

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire 4.7862 **Hectares** of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to annexure

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and Pre-agricultural at communities.

Encl: As above

छाया प्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता,

सि० ख०, लो० नि० वि०,

अल्मोड़ा

15.01.15

(Vinod Kumar Suman)

District Collector,

Almora

(Full name of the official seal of the District Collector)

(official seal of the District Collector)

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE, DISTRICT-ALMORA (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under sechedule Tribes & other traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006

A meeting of the district level committee of Almora District, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vinod Kumar Suman, I.A.S. District Magistrate Almora on 15/01/2015 at — A.M./P.M. at Almora which the application claiming rights in Mail area measuring **4.7862 Hec.** for the construction of **Jainti-Pipli Motor Road to SiltaChapar Motor Road (length 10.250 Km.) Under PMGSY in District Almora** of Forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub Division Level committee of **Jainti** sub Division were discussed to consider the same for admission by the District Level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District Level committee recommend the above case for diversion of land for the said purposed.

छाया प्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता, प्रा० ख०, लो० नि० वि०, अल्मोड़ा

Place :- Almora

Dated : 15/01/2015

15.01.15

District Magistrate cum chairman

District level committee, Almora

जिला समाज कल्याण अधिकारी

अल्मोड़ा

परियोजना का नाम :— जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत् जैंती–पीपली मोटर रोड से सिल्टा चापड़ मोटर मार्ग (लम्बाई 10.250 कि0मी0) का निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, जैंती

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, जैंती

उपखण्ड जैंती परिक्षेत्र के अन्तर्गत जैंती–पीपली मोटर रोड से सिल्टा चापड़ मोटर मार्ग (लम्बाई 10.250 कि0मी0) (0.9702 हैक्टेयर आरक्षित वन भूमि, 3.681 हैक्टेयर सिविल एवं सोयम वन भूमि, 0.135 हैक्टेयर वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 4.7862 हैक्टेयर वन भूमि) का ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील जैंती) की दिनांक 14/12/2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री अनिल कुमार चन्याल, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री अनिल कुमार चन्याल, उप जिलाधिकारी जैंती–अध्यक्ष

2– श्री महिपाल सिंह सिरोही, उप प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत –सदस्य

3– श्री भारत विष्ट, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, लमगड़ा –सदस्य/सचिव

4– श्री संदीप सिंह विष्ट, क्षेत्र पंचायत सदस्य, क्षेत्र सिल्टा चापड़ –सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक मे स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जैंती–पीपली मोटर रोड से सिल्टा चापड़ मोटर मार्ग (लम्बाई 10.250 कि0मी0) परियोजना हेतु 4.7862 हैक्टेयर वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी,अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड अल्मोड़ा परिक्षेत्र के अन्तर्गत जैंती–पीपली मोटर रोड से सिल्टा चापड़ मोटर मार्ग (लम्बाई 10.250 कि0मी0) परियोजना के निर्माण हेतु 4.7862 हैक्टेयर वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

छाया प्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता,
प्रा० ख०, लो० नि० वि०,
अल्मोड़ा

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील जैंती
जनपद अल्मोड़ा

प्रतिलिपि:– जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–जैंती
जनपद अल्मोड़ा

संलग्नक - 13 (10)

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम –जैंती–पीपली मोटर रोड़ से सिल्टा चापड़ मोटर मार्ग (लम्बाई 10.250 कि0मी0) का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम – सिल्टा चापड़

तहसील **जैंती** जिला अल्मोड़ा

<u>अनापत्ति प्रमाण पत्र</u>

जिला अल्मोड़ा उत्तराखण्ड में जैंती–पीपली मोटर रोड़ से सिल्टा चापड़ मोटर मार्ग (लम्बाई 10.250 कि0मी0) परियोजना के निर्माण हेतु (0.9702 हैक्टेयर आरक्षित वन भूमि, 3.681 हैक्टेयर सिविल सोयम भूमि, 0.135 हैक्टेयर वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 4.7862 हैक्टेयर वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **सिल्टा चापड़** द्वारा दिनॉक 22/11/2014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानो के तहत् आवेदित वन भूमि आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नही। *उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **सिल्टा चापड़** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग/संस्था प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जाता है एवं सही है।

छाया प्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता,
नि० ख०, लो० नि० वि०,
अल्मोड़ा

... किसी आदिवासी अथवा वनवासी ... निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रमाण पत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

संलग्नक - 14 (11)

प्रपत्र–23.1

दिनॉक 22/11/2014 ग्राम सभा में सम्पन्न बैंठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत – सिल्टा चापड़

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	सु. मेजर खड़गसिंह बिष्ट	[illegible]
2	ह० हरीसिंह	हरीसिंह
3	चतुरसिंह [illegible]	[illegible]
4	खड़कसिंह बिष्ट	KS बिष्ट
5	महेन्द्रसिंह ,,	महेन्द्र सिंह
6	गोपालसिंह ,,	गोपाल [illegible]
7	चन्दनसिंह ,,	चन्दन सिंह
8	बहादुरसिंह ,,	बहादुरसिंह
9	धरमसिंह ,,	धरमसिंह
10	बीरसिंह ,,	बीरसिंह
11	हीमन्ती बिष्ट	हिमन्ती
12	सोनू बिष्ट	सोनू बिष्ट
14	भगवानसिंह ,,	भगवान
15	चन्दन सिंह बिष्ट	चन्दनसिंह
[illegible]	[illegible] सिंह बिष्ट	पूरनसिंह
16	तेजसिंह बिष्ट	[illegible]
	[illegible] सिंह ,,	[illegible]
	लाल सिंह	Km

छाया प्रति प्रमाणित
सहायक [illegible]
बि० ब०, ला० लि० लि०,
[illegible]

[illegible signature]

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम –जैंती–पीपली मोटर रोड़ से सिल्टा चापड़ मोटर मार्ग (लम्बाई 10.250 कि0मी0) का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम – **स्यूड़ा**

तहसील **जैंती** जिला **अल्मोड़ा**

<u>अनापत्ति प्रमाण पत्र</u>

जिला अल्मोड़ा उत्तराखण्ड में जैंती–पीपली मोटर रोड़ से सिल्टा चापड़ मोटर मार्ग (लम्बाई 10.250 कि0मी0) परियोजना के निर्माण हेतु (0.9702 हैक्टेयर आरक्षित वन भूमि, 3.681 हैक्टेयर सिविल सोयम भूमि, 0.135 हैक्टेयर वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 4.7862 हैक्टेयर वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **स्यूड़ा** द्वारा दिनॉक 22/11/2014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानो के तहत् आवेदित वन भूमि आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नही। *उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **स्यूड़ा** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग/संस्था प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

सत्य प्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता,
ग्रा० अ० लो० नि० वि०,
अल्मोड़ा

ह०

ग्राम सचिव

~~ग्राम पंचायत विकास अधिकारी~~
ग्राम पंचायत...........[illegible]
विकास खण्ड-लमगड़ा जिला-अल्मोड़ा

प्रधान
ग्राम पंचायत [illegible]
पो० बेड़चूला (अल्मोड़ा)
ग्राम प्रधान

*[illegible] प्रभावित [illegible] तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रमाण पत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रपत्र—23.1

दिनाॅक 22/11/2014 ग्राम सभा में सम्पन्न बैंठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत – स्यूड़ा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	दीपक सिंह नेगी	[signature]
2.	केशर सिंह	केशर सिंह
3.	पान सिंह नेगी	[signature]
4	केशर सिंह	केशर सिंह
5	हरिश सिंह नेगी	हरीश सिंह
6	धनपत सिंह नेगी	[signature]
7	धानी सिंह	धानी सिंह
8	~~प्रताप सिंह नेगी~~	बरन सिंह
9.	हीरा सिंह नेगी	हीरा सिंह नेगी
10	पान सिंह	पान सिंह
11	इन्द्र सिंह	इन्द्र सिंह
12	त्रिलोक सिंह नेगी	[signature]
13	शेर सिंह नेगी	शेर सिंह नेगी
14	पान सिंह नेगी	पान सिंह
15	~~दीवान सिंह~~ / लक्ष्मण सिंह	लक्ष्मण सिंह
16	जगदीश सिंह	[signature]
17	बहादुर सिंह	बहादुर सिंह
		मोहनी देबी

छाया प्रति प्रमाणित
[signature]
सहायक अभियन्ता,
नि० ख०, लो० नि० वि०,
बग्वाड़ा

[signature]

ग्राम पंचायत-स्यूड़ा
पो०-बेड़गुला (अल्मोड़ा)

प्रपत्र–23

परियोजना का नामः–जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत् दलबैण्ड से नैनी मोटर मार्ग (लम्बाई 6.250कि0मी0) का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत् अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम– नैणी

तहसील–**अल्मोड़ा** जिला – **अल्मोड़ा**

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला **अल्मोड़ा** उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत् दलबैण्ड से नैनी मोटर मार्ग (लम्बाई 6.250कि0मी0) परियोजना के निर्माण हेतु (0.766 हैक्टेयर आरक्षित वन भूमि, 2.483 हैक्टेयर सिविल सोयम भूमि, 0.00 हैक्टेयर वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 3.249 हैक्टेयर वन भूमि का **ग्राम्य विकास** विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **नैणी** द्वारा दिनॉक 10/11/2014 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा कृषि कार्य है अथवा नहीं। *उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत् अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **नैणी** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि **ग्राम्य विकास विभाग** प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

छाया प्रति प्रमाणित

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

Anurag Singh
सहायक अभियन्ता,
लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

ह0/– ह0/–

ग्राम सचिव ग्राम प्रधान

नोटः– *यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

संलग्नक-01

पत्र प्राप्ति 1405
फाईल नं. ...
दिनांक 10/08/2015

उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण

ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन का अभिकरण
प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय,
आई0टी0 पार्क के सामने, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून
दूरभाष :– 0135–2608125 फैक्स :– 2608126 ई–मेल :–urrda@yahoo.com

पत्रांक 1272 /आई–3–20/यू0आर0आर0डी0ए0/12 दिनाँक 06 अगस्त 2015

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक,
ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स,
रेसकोर्स, देहरादून।

विषय:–प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत आपकी शाखा में संचालित राज्य मद खाता सं0 15262011001939 से कारपोरेशन बैंक ल शाखा नई दिल्ली के खाता सं0–037100101025229, में धनराशि जमा करने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयक निम्न सूची के अनुसार चैक सं0–058250 दिनांक 05.08.2015 धनराशि रु0 **58,80,786.00** संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि कृपया इसका भुगतान RTGS के माध्यम से Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttarachal SB/Ac No 037100101025229 कारपोरेशन बैंक लोधी शाखा नई दिल्ली को करने का कष्ट करें। RTGS हेतु कारपोरेशन बैंक का विवरण निम्नानुसार है।

Name:-	Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttrakhand
Name of Bank:-	Corporation Bank
Address:-	Lodhi Road Branch New Delhi.
IFC Code:-	CORP0000371
A/C No:-	037100101025229
MICR Code:-	110017007
Branch code: -	00371.

क्र0 सं0	पैकेज	प्रस्ताव का नाम	जनपद	देय धनराशि				
				क्षतिपूरक वृक्षारोपण	एन0पी0वी0	मार्ग के दोनों ओर वृक्षारोपण हेतु	मलवा निस्तारण	योग
1		जैती पीपली से सिल्टा चापड़ मोटर मार्ग	अल्मोड़ा	**13,68,853.00**	**31,44,533.00**	**13,67,400.00**	–	**58,80,786.00**

संलग्नक–उक्त चैक

अधिशासी अभियन्ता
यू0आर0आर0डी0ए0

प्रतिलिपि निम्नलिखित को **सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित**

1. नोडल अधिकारी एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, वन विभाग, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून ।
2. अधिशासी अभियन्ता, पी0आई0यू0 (पी0एम0जी0एस0वाई0), अल्मोड़ा ।

अधीन
10-8-15

छाया प्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता,
प्रा० ख०, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

अधिशासी अभियन्ता
यू0आर0आर0डी0ए0

परियोजना का नामः—जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत् जैंती—पीपली मोटर रोड से सिल्टा चापड़ मोटर मार्ग (लम्बाई 10.250 कि0मी0) का निर्माण।

उप जिलाधिकरी, जैंती के पत्र संख्या 520/एस०टी० दिनॉक 10/09/2015के अनुपालन में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत् जैंती—पीपली मोटर रोड से सिल्टा चापड़ मोटर मार्ग (लम्बाई 10.250 कि0मी0) के निर्माण हेतु प्रस्तावित 4.7862 हैक्टेयर वन भूमि के एवज में दुगुने क्षेत्र, अर्थात् 9.5724 हैक्टेयर सिविल भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु राजस्व ग्राम सिल्टा चापड़, पट्टी तल्ला सालम, तहसील जैंती, जनपद अल्मोड़ा के प्रस्तावित स्थल का वन एवं प्रयोक्ता विभाग के प्रतिनिधियों के साथ उप जिलाधिकारी महोदय, जैंती के उक्त पत्र द्वारा निर्धारित तिथि 18/09/2015को संयुक्त निरीक्षण किया गया।

संयुक्त निरीक्षण में उक्त राजस्व ग्राम के नॉन जेड.ए. खतौनी खाता संख्या 52 श्रेणी 9(3)ङ "बंजर काबिल आबाद" के पैमाइशी खेत नम्बर 3485 रकवा 1.291 हैक्टेयर, पैमाइशी खेत नम्बर 3503 रकवा 1.083 हैक्टेयर, पैमाइशी खेत नम्बर 3545 रकवा 0.515 हैक्टेयर, पैमाइशी खेत नम्बर 3547 रकवा 0.391 हैक्टेयर, पैमाइशी खेत नम्बर 3549 रकवा 0.498 हैक्टेयर, पैमाइशी खेत नम्बर 3713 रकवा 0.940 हैक्टेयर, पैमाइशी खेत नम्बर 3800 रकवा 0.526 हैक्टेयर, पैमाइशी खेत नम्बर 4754 रकवा 1.400 हैक्टेयर, पैमाइशी खेत नम्बर 5056 रकवा 1.023 हैक्टेयर, पैमाइशी खेत नम्बर 5759 रकवा 1.415 हैक्टेयर एवं पैमाइशी खेत नम्बर 5800 मध्ये रकवा 0.4904 हैक्टेयर अर्थात कुल 9.5724 हैक्टेयर सिविल भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध एवं उपयुक्त पाई गई।

अतः उक्त सम्बन्धित सिविल भूमि को वन विभाग के नाम हस्तान्तरित एवं नामान्तरित करने की संस्तुति की जाती है।

राजस्व उपनिरीक्षक
राजस्व पुलिस क्षेत्र बकस्वाड़
तहसील- जैंती जिला-अल्मोड़ा
दिनांक

तहसीलदार
जैंती

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

उप जिलाधिकारी, जैंती के पत्र संख्या 520/एस०टी० दिनॉक 10/09/2015 द्वारा निर्धारित तिथि 18/09/2015 को जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत् जैंती–पीपली मोटर रोड से सिल्टा चापड़ मोटर मार्ग (लम्बाई 10.250 कि0मी0) (जिसकी सैद्धान्तिक स्वीकृति शासनादेश संख्या 438/X–4–15/1(240)/2015 दिनॉक 01 जुलाई, 2015 द्वारा प्राप्त हुई है) के निर्माण हेतु प्रस्तावित 4.7862 हैक्टेयर वन भूमि के एवज में दुगुने क्षेत्र, अर्थात् 9.5724 हैक्टेयर सिविल भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु राजस्व ग्राम सिल्टा चापड़, पट्टी तल्ला सालम, तहसील जैंती, जनपद अल्मोड़ा के प्रस्तावित स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया गया।

संयुक्त निरीक्षण में राजस्व विभाग की ओर से राजस्व उप निरीक्षक बकस्वाड़, वन विभाग (चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत) की ओर से वन दरोगा तथा प्रयोक्ता विभाग की ओर से सहायक अभियन्ता एवं अमीन द्वारा भाग लिया गया।

संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि उक्त मोटर मार्ग हेतु प्रस्तावित 4.7862 हैक्टेयर वन भूमि के एवज में दुगुने क्षेत्र में राजस्व ग्राम सिल्टा चापड़, पट्टी तल्ला सालम, तहसील जैंती, जनपद अल्मोड़ा के नॉन जेड़.ए. खतौनी खाता संख्या 52 श्रेणी 9(3)ङ "बंजर काबिल आबाद" के पैमाइशी खेत नम्बर 3485 रकवा 1.291 हैक्टेयर, पैमाइशी खेत नम्बर 3503 रकवा 1.083 हैक्टेयर, पैमाइशी खेत नम्बर 3545 रकवा 0.515 हैक्टेयर, पैमाइशी खेत नम्बर 3547 रकवा 0.391 हैक्टेयर, पैमाइशी खेत नम्बर 3549 रकवा 0.498 हैक्टेयर, पैमाइशी खेत नम्बर 3713 रकवा 0.940 हैक्टेयर, पैमाइशी खेत नम्बर 3800 रकवा 0.526 हैक्टेयर, पैमाइशी खेत नम्बर 4754 रकवा 1.400 हैक्टेयर, पैमाइशी खेत नम्बर 5056 रकवा 1.023 हैक्टेयर, पैमाइशी खेत नम्बर 5759 रकवा 1.415 हैक्टेयर एवं पैमाइशी खेत नम्बर 5800 मध्ये रकवा 0.4904 हैक्टेयर अर्थात् कुल 9.5724 हैक्टेयर सिविल भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध एवं उपयुक्त है।

वन बीट अधिकारी

क्षेत्र अधिकारी
देवीधुरा

राजस्व उपनिरीक्षक,
राजस्व पुलिस क्षेत्र बकस्वाड
तहसील-जैंती जिला-अल्मोड़ा
दिनांक ....

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड [पी०एम०जी०एस०वाई०]
लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा

तहसीलदार
जैंती

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत

<u>प्रारुप–2</u>

खण्ड का नामः– सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0 अल्मोड़ा।

क्र0 सं0	परियोजना का नाम/विवरण	स्वीकृति का वर्ष	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु क्षेत्रफल	सैद्धान्तिक स्वीकृति का वर्ष	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सिविल सोयम भूमि का विवरण			राजस्व ग्राम/पटवारी क्षेत्र/तहसील	वन विभाग की टिप्पणी
					खाता संख्या	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
01.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत् जैंती–पीपली मोटर रोड से सिल्टा चापड़ मोटर मार्ग (लम्बाई 10.250 कि0मी0) का निर्माण।	2009–10	9.5724 हैक्टेयर	दिनॉक 01/07/2015 (वर्ष 2015–16)	श्रेणी 9(3)ङ "बंजर काबिल आबाद" खाता संख्या–52	3485	1.291	सिल्टा चापड़/बकस्वाड़/जैंती	राजस्व विभाग एवं कार्यदायी विभाग के साथ दिनॉक 18/09/2015 को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु राजस्व ग्राम सिल्टा चापड़ के प्रस्तावित स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया गया। वृक्षारोपण हेतु सम्बन्धित भूमि उपलब्ध एवं उपयुक्त है। अतः चिन्हित भूमि को वन विभाग के नाम हस्तान्तरित एवं नामान्तरित कर भूमि को वन विभाग के नाम अमल दरामद करने की संस्तुति की जाती है।
						3503	1.083		
						3545	0.515		
						3547	0.391		
						3549	0.498		
						3713	0.940		
						3800	0.526		
						4754	1.400		
						5056	1.023		
						5759	1.415		
						5800 मध्ये	0.4904		
					कुल योग	11 नम्बर खेत	9.5724	–	–

वन क्षेत्र अधिकारी

राजस्व उपनिरीक्षक
राजस्व पुलिस क्षेत्र बकस्वाड़
तहसील- जैंती जिला-अल्मोड़ा
दिनांक ....

अधिशासी अभियन्ता
सिचाई खण्ड[पी०एम०जी०एस०वाई०]
लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा

तहसीलदार
जैंती